



प्रेस-नोट

दिनांक 13.09.2022

## जनपद अम्बेडकरनगर थाना भीटी पुलिस टीम द्वारा दिनांक 26.08.2022 को हुई एक युवती की हत्या का सफल अनावरण करते हुये घटना में संलिप्त तीन अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

घटना के बारे में उल्लेखनीय है कि दिनांक 12.09.2022 को थाना सम्मनपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम शिवली नहर पट्टी के पास एक मानव कंकाल व एक दुपट्टा मिलने की सूचना थाना सम्मनपुर पुलिस को प्राप्त हुयी थी। स्थानीय पुलिस द्वारा मानव कंकाल को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया तथा उक्त घटना की गम्भीरता को देखते हुए श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय श्री संजय राय द्वारा पर्याप्त पुलिस बल के साथ घटना स्थल का निरीक्षण किया गया तथा घटना के सफल अनावरण हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये थे। घटना स्थल से प्राप्त दुपट्टा के माध्यम से उसकी शिनाख्त मृतका के परिजनों द्वारा ग्राम रेवली थाना भीटी जनपद अम्बेडकरनगर के रूप में की गयी तथा परिजनों की तहरीर के आधार पर थाना भीटी पर मु0अ0सं 169/22 धारा 364, 313, 304,201 भादवि व धारा 3(2)5 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति(नृशसता निवारण) अधिनियम बनाम 01. सन्दीप पुत्र रामकिशुन निवासी रेवली थाना भीटी जनपद अम्बेडकरनगर 02. विमलेश पुत्र रामलाल निवासी जैतपुर थाना महरूआ जनपद अम्बेडकरनगर 03. विवेक पाल पुत्र ओमप्रकाश पाल निवासी रेवली थाना भीटी जनपद अम्बेडकरनगर पंजीकृत किया गया था। थाना भीटी पुलिस द्वारा घटना के सफल अनावरण/नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु लगातार सफल प्रयास किए जा रहे थे। आज दिनांक 13.09.2022 थाना भीटी पुलिस टीम द्वारा नामजद अभियुक्तों को उनके निवास स्थान पर पर्याप्त पुलिस बल के साथ दविश देकर गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों को गिरफ्तार कर थाना स्थानीय पर अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है तथा प्रकाश में आये एक अज्ञात चिकित्सक की गिरफ्तारी के लिए थाना स्थानीय पुलिस द्वारा लगातार सार्थक प्रयास किए जा रहे है।

**पूछताछ विवरण:-** गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा पुलिस पूछताछ में बताया गया कि सम्बन्धित युवती से 01. सन्दीप पुत्र रामकिशुन व विमलेश पुत्र रामलाल का विगत दिनों से प्रेम प्रसंग चल रहा था तथा कुछ दिन पूर्व हम दोनों को उसके पांच महीने के गर्भवती होने की जानकारी हुयी थी, जानकारी मिलने के पश्चात हम दोनों युवको ने युवती के गर्भपात कराने की योजना बनाई थी। हरियाणा राज्य में एक कम्पनी में नौकरी कर रहे विमलेश द्वारा सन्दीप व विवेक पाल को उक्त युवती का गर्भपात कराने हेतु 3000 रुपए भेजे गये थे। जिस उपरान्त हम लोग उक्त युवती को दिनांक 26.08.2022 को थाना अहिरौली क्षेत्रान्तर्गत अन्नावा बाजार के पास भारत अस्पताल के एक झोलाछाप डाक्टर के पास उसका गर्भपात कराने हेतु मोटरसाइकिल से लेकर आये थे, तत्पश्चात गर्भपात करते समय उसकी मृत्यु हो गयी थी। मृत्यु के उपरान्त उक्त डाक्टर द्वारा पुलिस कार्यवाही से बचने हेतु मृतका के शव को उसके घर से लगभग 200 किमी0 दूर फेकने हेतु बताया गया। पुलिस के डर के कारण हम तीनों लोग सम्बन्धित युवती को मोटरसाइकिल के माध्यम से ले जाकर थाना सम्मनपुर क्षेत्रान्तर्गत शिवली नहर पट्टी के पास झाड़ियों में उसके शव को फेक दिए।

### **विवरण नाम-पता गिरफ्तार अभियुक्तगण-**

01. सन्दीप पुत्र रामकिशुन निवासी रेवली थाना भीटी जनपद अम्बेडकरनगर।
02. विमलेश पुत्र रामलाल निवासी जैतपुर थाना महरूआ जनपद अम्बेडकरनगर।
03. विवेक पाल पुत्र ओमप्रकाश निवासी रेवली थाना भीटी जनपद अम्बेडकरनगर।

### **विवरण पंजीकृत अभियोग-**

01. मु0अ0सं 169/22 धारा 364, 313, 304,201 भादवि व धारा 3(2)5 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति(नृशसता निवारण) अधिनियम थाना भीटी जनपद अम्बेडकरनगर।

### **विवरण गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम**

प्रभारी निरीक्षक भीटी श्री राजीव कुमार यादव मय फोर्स